राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प.12(2) राज/वाद/19 जयपुर, दिनांकः 04/04/23

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/
प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/
विभागाध्यक्ष।

:: परिपत्र ::

राज्य सरकार के यह संज्ञान में आया है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन अवमानना प्रकरणों में राज्य सरकार की ओर से समय पर जवाब/उपस्थिति प्रस्तुत नहीं हो रही है, जिसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा गम्भीरता से लिया जाकर Displeasure जाहिर किया गया है। अतः इस सम्बन्ध में मुख्य सचिव महोदया की अध्यक्षता में दिनांक 14.03.2023 को आयोजित मीटिंग में दिये गये निर्देशों की पालना में निम्न निर्देश जारी किये जाते हैं:–

1. समस्त विभागों के द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष उनके विचाराधीन अवमानना प्रकरणों को गम्भीरता से लिया जावे तथा इन प्रकरणों में नियुक्त समन्वयक/प्रभारी अधिकारियों को निर्देशित किया जावे कि वे सम्बन्धित अतिरिक्त महाधिवक्ता/कौंसिल्स से तथ्यात्मक रिपोर्ट/जवाब सहित समय रहते सम्पर्क करें।
2. ऐसे प्रकरण जिनमें माननीय न्यायालय द्वारा पक्षकारों के ज्ञापन (Represantation) को निस्तारित करने के निर्देश दिये गये हैं, उन ज्ञापनों (Representations) को अविलम्ब/निस्तारित करना सुनिश्चित करें।
3. माननीय न्यायालयों में विचाराधीन अवमानना प्रकरणों के सम्बन्ध में विद्वान महाधिवक्ता एवं सभी अतिरिक्त महाधिवक्ता के साथ प्रत्येक माह में एक बार मुख्य सचिव महोदया के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की जावेगी, जो कि यथासम्भव माह के प्रत्येक सोमवार को आयोजित की जावेगी।
4. विभिन्न विभागों के समक्ष लम्बित मामलों पर मोनिटरिंग करने के लिये मोनिटरिंग यूनिट(PMU) गठित की जावे, जिसमें लॉ इन्टर्न्स को भी रखा जावे, जो कि विभागों व अतिरिक्त महाधिवक्तागण के बीच समन्वय स्थापित करने का कार्य करेंगे।

ह0

(अनुपमा राजीव बिजलानी)
शासन सचिव,विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव,राज0सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव,विधि।
3. निजी सचिव, विद्वान महाधिवक्ता, राज0जयपुर।
4. समस्त अतिरिक्त महाधिवक्ता/कौंसिल्स, जयपुर/जोधपुर।
5. रक्षित पत्रावली।

4/4/23
शासन सचिव,विधि